

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

राँची

दिनांक :- 23-01-17

अधि.सं.-01/स्था.पद.-11-03/2015-208 / जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के निम्नलिखित मुख्य अभियंता (असै.) / अधीक्षण अभियंता (असै.) / कार्यपालक अभियंता (असै.) जिनका कॉलम-03 में वर्तमान पदस्थापन अंकित है, अगले आदेश तक कॉलम-04 में अंकित पद के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम / आई.डी. / जन्म तिथि / गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	अतिरिक्त प्रभार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री अशोक राम 3845/हजारीबाग/ 09.01.63	मुख्य अभियंता रुपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान राँची	मुख्य अभियंता अग्रिम योजना, राँची	
2.	श्री मिथिलेश कुमार 4390/सिंहभूम/26.01.57	सचिव (प्रावै.) मुख्य अभियंता, राँची	अधीक्षण अभियंता योजना आयोजन अंचल, राँची	
3.	श्री राकेश कुमार 3319/हजारीबाग/ 02.01.59	कार्यपालक अभियंता गुण नियंत्रण प्रमंडल, हजारीबाग	उप निदेशक, भू-गर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल हजारीबाग	
4.	श्री राजेश कुमार चौधरी 3252/दरभंगा/24.08.63	कार्यपालक अभियंता समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमंडल-03, राँची	कार्यपालक अभियंता, अग्रिम योजना प्रमंडल, राँची	

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(हेमन्त कुमार भक्त)
सरकार के उप सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :- 208

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

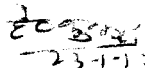
(हेमन्त कुमार भक्त)
सरकार के उप सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :- २०६

राँची, दिनांक :- २३-०१/१४

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची/ माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपुर/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी मुख्य अभियंता/ प्रबन्ध निदेशक, झालको, राँची/ सभी संबंधित पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इंफॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब, 7यो, एवं 8ए, 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारी आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंतर्गत विभाग को उपलब्ध करायेंगे।


(हेमन्त कुमार भक्त)
सरकार के उप सचिव (प्र.)